# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

| अपील संख्या | रजि0 न0 | प्रवेश तिथि | निर्णय दिनांक |
|---|---|---|---|
| 11/09/2019 | 2019/00051 | 29.03.2019 | 20.06.2023 |

1. मंगलराम पुत्र श्री ईश्वर, जाति चमार, निवासी ग्राम नाथलवाडा, तहसील राजगढ जिला अलवर (राज0)।

अपीलाण्ट

**बनाम**

1. तहसीलदार भूमिधारी, तहसीलदार राजगढ, जिला अलवर।
2. शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा मेला का चौराया राजगढ जिला अलवर, राज0।

रेस्पोडेन्ट

**अपील अन्तर्गत धारा 75 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश तहसीलदार राजगढ दिनांक 19.07.2003 नामान्तकरण संख्या 243 वाके ग्राम नाथलवाडा तहसील राजगढ**

उपस्थितः–

01. श्री रामबाबू कौशिक – वकील अपीलाण्ट
02. राजकीय अभिभाषक – रेस्पोडेन्ट

**–:: निर्णय ::–**

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार रैणी के निर्णय दिनांक 19.07.2003 नामान्तकरण संख्या 243 वाके ग्राम नाथलवाडा तहसील राजगढ जिसके द्वारा रहन नामान्तकरण स्वीकार किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट जरिये राजकीय अभिभाषक उपस्थित। तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि हाल आराजी खसरा नं0 1156 रकबा 0.02 है0, 1157 रकबा 1.21 है0 कुल किता 2 रकबा 1.23 है0 वाके ग्राम नाथलवाडा तहसील राजगढ में स्थित है। जिन नम्बरान में 1/2 हिस्सा का अपीलान्ट खातेदार काश्तकार है एवं 1/2 हिस्सा की अपीलान्ट की माता भूरीदेवी बेवा ईश्वर कोम चमार साकिनदेह खातेदार है। अपीलान्ट मंगलराम को अपनी जायज जरूरत के लिये रूपयो की आवश्यकता होने पर अपीलान्ट द्वारा वर्णित आराजी के 1/2 हिस्से को भारतीय स्टेट बैक गोल मार्केट राजगढ तहसील राजगढ जिला अलवर के हक में 6(1) कराकर कर्जा राशि प्राप्त की थी जिस पर बैंक द्वारा अपीलान्ट के हिस्से की आराजी का 6(1) दर्ज करते समय गलती से

अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

अपीलान्ट की माता भूरी देवी के हिस्से की आराजी का 6(1) कर दिया था और उसी 6(1) के आधार पर पटवारी हल्का द्वारा रहन का इंतकाल संख्या 243 भरकर पेश करने पर रेस्पोडेन्ट द्वारा बेजा तौर पर स्वीकार फरमाया गया। अपीलान्ट द्वारा अपने कर्जे को बैंक को चुकता अदा करने पर बैंक द्वारा 6(1) रहनमुक्त का प्रमाण पत्र जारी कर दिया और उसके आधार पर मिन अपीलान्ट मंगलराम के नाम रहन फक का इंतकाल संख्या 748 दिनांक 20.06.2018 स्वीकार किया गया। परन्तु अपीलान्ट की माता भूरी देवी ने कभी भी आज तक उक्त आराजी को बैंक मे रहन रखकर कर्जा प्राप्त नहीं किया गया ऐसी स्थिती में अपीलान्ट की माता के हिस्से की वर्णित आराजी गलत रहन रखकर व रहन का इंतकाल खोला गया है उसको मन्सूख किया जाना अति आवश्यक है। अपीलान्ट की माता का स्वर्गवास हो चुका है। अपीलान्ट की माता के स्वर्गवास हो जाने के बाद मिन अपीलान्ट व मिन अपीलान्ट की बहनें शांति, केसर, रूकमणी, भौती व किरतुरी जायज काबिज वारिस है अपनी माता भूरी देवी के जायज वारिस होने के कारण विरासत का इन्तकाल खुलकर मिन अपीलान्ट व मिन अपीलान्ट की बहनें शांति, केसर, रूकमणी, भौती व किरतुरी के हिस्से के मुताबिक नाम दर्ज होकर मंजूर हो चुका है। अपीलान्ट की बहनों के द्वारा अपने हिस्से अनुसार अपीलान्ट के हक में हकत्याग उपपंजियक कार्यालय राजगढ में दिनांक 04.06.2018 को तहरीर कराकर तकमील करा दिया गया। इस प्रकार मिन अपीलान्ट वर्णित आराजी का सम्पूर्ण मालिक होने के कारण यह अपील अपीलान्ट द्वारा पेश की जा रही है। तहसीलदार राजगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.07.2003 के मिन अपीलान्ट को सर्वप्रथम दिनांक 15.02.2019 को पटवारी हल्का राजपुरबडा के पास से अपनी आराजीयात की नकल जमाबंदी लेने पर हुआ जिस पर मिन अपीलान्ट द्वारा इंतकाल की नकल प्राप्त करने के लिए उसी दिन नकल प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जो नकल इंतकाल दिनांक 06.03.2019 को प्राप्त हुई जिससे मिन अपीलान्ट की अपनी यह अपील आज बिलादेरी पेश है और इस अपील के देरीना समय को कन्डोन फरमाये जाने के लिए प्रार्थना पत्र धारा 5 कानून मियाद अधिनियम पेश है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजगढ के निर्णय दिनांक 19.07.2003 नामातंकरण संख्या 243 को निरस्त फरमाया जाने की कृपा करें।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 पर विचार किया। अपीलान्ट को सर्वप्रथम 15.02.2019 को पटवारी हल्का से जमाबंदी की नकल निकलवाने पर जानकारी में आया। इससे पूर्व अपीलान्ट को उक्त इंतकाल के बारे में जानकारी नहीं थी। इसीलिए अपीलान्ट द्वारा जो अपील पेश की जारी रही है बिना देरी पेश की जा रही है देरीना समय को कन्डोन फरमाया जाये। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः नरमी का रूख अपनाते हुए विलम्ब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन किया। वकील अपीलान्ट की बहस व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का चिन्तन–मनन करने पर जाहिर होता है कि रेस्पोडेन्ट के द्वारा दिनांक 19.07.2003 को नामान्तकरण संख्या 243 को स्वीकार करते समय अपीलान्ट के 6(1) का अवलोकन सही प्रकार से नहीं किया गया। बैंक में 6(1) मंगलराम पुत्र ईश्वर जाति चमार निवासी नाथलवाडा के नाम से जारी किया गया है परन्तु रेस्पोडेन्ट द्वारा नामांतकरण तस्दीक करते समय मंगलराम पुत्र ईश्वर 1/2 हिस्सा व मु0 भूरी बेवा ईश्वर 1/2 हिस्सा जाति चमार साकिनदेह खातेदार रहन भारतीय स्टेट बैंक शाखा राजगढ के

अतिरिक्त जिला कलैक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज०)

नाम दर्ज कर दिया गया है, जबकि अधिनस्थ न्यायालय को मुताबिक 6(1) रहन का नामान्तकरण मंगलराम पुत्र ईश्वर 1/2 हिस्से दर्ज किया जाना चाहिए था। उक्त सभी तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर तहसीलदार राजगढ के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.07.2003 नामान्तकरण संख्या 243 वाके ग्राम नाथलवाडा तहसील राजगढ निरस्त किया जाता है। तहसीलदार राजगढ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मंगलराम पुत्र ईश्वर को जारी 6(1) की विधिवत जांच कर एवं भारतीय स्टेट बैंक, गोल मार्केट, राजगढ से आवश्यक रिपोर्ट प्राप्त कर नियमों के आलोक में पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 20.06.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(इन्द्रजीत सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

स्था० अति० जि० कले० एवं अति० जि० मजि०
राजस्थान सरकार
प्रशासन (द्वितीय) अलवर